

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा/ऑडिट कमेटी/2025/624

दिनांक : 03/03/25

मीटिंग नोटिस

इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 600 दिनांक 17.02.2025 के क्रम में राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की चतुर्थ बैठक दिनांक 10/03/2025 को आरएचएसडीपी हॉल-एनएचएम मुख्यालय में नियत की गई है। कृपया निर्धारित तिथि को सांय 5:00 बजे निम्न सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित रहने का श्रम करावें:-

क्रम सं०	बैठक के विचारणीय बिन्दु
1	गत बैठक दिनांक 18.12.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।
2	महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की 31.01.2025 तक की स्थिति।
3	तथ्यात्मक विवरण/ड्राफ्ट पैराज की स्थिति।
4	भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों के पैराज की स्थिति।
5	जनलेखा समिति की सिफारिशों की स्थिति।
6	अंकेक्षण आपत्तियां (ओ.बी. आईटम्स)।
7	गबन/दुर्विनियोजन/चोरी के मामले।
8	निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, विशेष जांच प्रतिवेदन एवं विभागाध्यक्षों के आन्तरिक जांच प्रतिवेदन की अनुपालना स्थिति।
9	अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंकेक्षण से सम्बन्धित अन्य मामलों।

वित्तीय सलाहकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा/ऑडिट कमेटी/2025/

दिनांक :

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कर निवेदन है कि कृपया बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज., जयपुर।
- 2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
- 3 प्रधान महालेखाकार, (जी.एस.एस.ए.), राजस्थान, जयपुर।
- 4 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, लि० जयपुर।
- 5 निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
- 6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, स्टेशन रोड़, जयपुर।
- 7 आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण संघटन, जयपुर।
- 8 वरिष्ठ उप महालेखाकार (जी.एस.एस.ए.-II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 9 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ऑडिट) विभाग राजस्थान जयपुर।
- 10 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, जयपुर।
- 11 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य (गुप-5) विभाग, जयपुर।
- 12 निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन, ए. ब्लॉक, चतुर्थ तल, आर.सी.दवे. मार्ग, राज., जयपुर।
- 13 निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
- 14 निदेशक (प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
- 15 परियोजना निदेशक, एनएचएम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि बैठक सम्बन्धी व्यवस्था हेतु निर्देश जारी करावें।
- 16 परियोजना निदेशक (एड्स कन्ट्रोल सोसायटी), मुख्यालय।
- 17 निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, राजस्थान, जयपुर।
- 18 निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज० जयपुर।
- 19 अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज० जयपुर।
- 20 अतिरिक्त निदेशक (अस्पताल प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज० जयपुर।
- 21 निदेशक (वित्त), एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
- 22 संयुक्त निदेशक (योजना) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, मुख्यालय।
- 23 समस्त संयुक्त निदेशक, चि० एवं स्वा० सेवाएं, जोन-जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/भरतपुर/उदयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नियत तिथि पर बैठक में मय सूचना सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- 24 प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को ईमेल करावे/उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 25 केयर टेकर, आरएचएसडीपी हॉल-एनएचएम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि को मीटिंग हॉल में बैठक सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
- 26 प्रभारी अधिकारी, स्टोर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि बैठक दिवस पर लगभग 50 लोगों की जलपान की व्यवस्था करावें।
- 27 रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Veeja Gupta  
Designation: Financial Advisor  
Date: 2025.02.28 17:43:18 IST  
Reason: Approved राजस्थान जयपुर

